<u>उच्च न्यायालय, जबलपुर</u>

<u>दांडिक अपील क्र. 253/1999</u>

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील ज्ञापन)

अपीलार्थी(कारागार में) :

खुरसाल उर्फ संतोष चंद्रा, पिता थानू राम चंद्रा, आयु 24 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हारी चौकी कोसिर, थाना सारंगढ़, जिला रायगढ़ (म.प्र.)।

<u>विरुद्ध</u>

प्रत्यर्थी :

मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा जिला दंडाधिकारी रायगढ़ (म.प्र.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत अपील ज्ञापन।</u>

<u>प्रकाशनार्थ अनुमोदित</u>

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय : बिलासपुर
दांडिक अपील संख्या 253/1999

कोरम: माननीय श्री फखरुद्दीन एवं
माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीशगण

उपस्थित:

अपीलार्थी की ओर से श्री विमलेश बाजपेयी, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से श्री यू.एन.एस. देव, शासकीय अधिवक्ता/अपर लोक अभियोजक।

<u>निर्णय धीरेंद्र मिश्रा, न्यायाधीश के अनुसार :</u>

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलार्थी ने प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 158/97 में पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 28-11-1998 के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मृतक छविलाल की मृत्यु कारित करने का दोषी पाते हुए, अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया है और आजीवन कारावास के दंड से दंडित किया है।

2. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में यह है कि पुलिस चौकी कोसिर, थाना सारंगढ़ ने नंद बाई द्वारा दी गई सूचना (प्रदर्श पी/10) के आधार पर दिनांक 21-6-1997 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत इस आशय का अपराध पंजीबद्ध किया, कि दिनांक 20-6-1997 को लगभग शाम 6.00 बजे जब उसके दो पुत्र भोजन करने के बाद बाहर गए थे, मृतक छविलाल लगभग रात 9.00 बजे वापस आया और छत पर सोने चला गया। 1 से 1½ घंटे के बाद उसने अपने पुत्र छविलाल की आवाज़ 'ओ माँ' सुनी, जिस पर वह अपनी भाभी श्याम बाई के साथ छत पर गई। छत पर छविलाल 'ओ माँ' चिल्ला रहा था और उसके बाद उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसने छत पर खून फैला हुआ देखा और छविलाल के बाएं कंधे पर किसी धारदार हथियार से चोट

लगी थी और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके पुत्र छविलाल की हत्या कर दी है।

3. पुलिस ने घटना स्थल के लिए कार्यवाही की। साक्षियों को उचित सूचना देने के उपरांत प्रदर्श पी/1 के अनुसार मृत्युसमीक्षा की कार्यवाही की गई। शव को परीक्षण के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारंगढ़ भेजा गया। डॉ. पी.के. त्रिपाठी (अ.सा.-5) ने मृतक की शव परीक्षा करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी/12) प्रस्तुत की। घटनास्थल से रक्त रंजित गद्दा प्रदर्श पी/3 के अनुसार कब्जे में लिया गया। अपीलार्थी के साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेंडम (प्रदर्श पी/4) के आधार पर रक्त रंजित टी-शर्ट जब्त की गई। अपराध में प्रयुक्त हथियार फरसा, ईश्वर प्रसाद से प्रदर्श पी/6 के अनुसार कुएं से बाहर निकालने के बाद जब्त किया गया। अपीलार्थी से रक्त रंजित फुल पैंट, रक्त रंजित गमछा और शर्ट प्रदर्श पी/7 के अनुसार जब्त किए गए। अपराध में प्रयुक्त हथियार फरसा परीक्षण हेतु चिकित्सक के पास भेजा गया, जिन्होंने अभिमत दिया कि शवपरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेखित चोटें उपरोक्त हथियार से कारित की जा सकती हैं और ऐसी चोटें मृत्यु का कारण बन सकती हैं। हालांकि, उन्होंने सलाह दी कि रक्त की उपस्थिति की पुष्टि के लिए अपराध में प्रयुक्त हथियार को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा जाए। मृतक छविलाल द्वारा पहना गया अंडरवियर कब्जे में लिया गया। हलका पटवारी द्वारा प्रदर्श पी/13 के अनुसार नजरी नक्शा तैयार किया गया। जब्त फरसे को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट द्वारा पहचान हेतु रखा गया और पहचान ज्ञापन प्रदर्श पी/19 है। अपीलार्थी खुरसाल @ संतोष चंद्रा की शिनाख्ती परेड भी प्रदर्श पी/20 के अनुसार आयोजित की गई थी। विवेचना पूर्ण करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सारंगढ़ के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने प्रकरण सत्र न्यायालय, रायगढ़ को उपार्पित कर दिया, जहाँ से विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, रायगढ़ को विचारण हेतु प्रकरण अंतरण पर प्राप्त हुआ।

4. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप विरचित किए। हालांकि, अपीलार्थी ने दोष स्वीकार नहीं किया और विचारण की मांग की।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. अभियोजन ने अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप सिद्ध करने के लिए कुल 19 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त का कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अभियोजन मामले में अपने विरुद्ध आने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का तर्क दिया। विद्वान विचारण न्यायालय ने लोक अभियोजक और अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को दोषी पाया और उसे उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

6. मृतक की मृत्यु मानववध प्रकृति की है, इस पर विवाद नहीं है। वैसे भी डॉ. पी.के. त्रिपाठी (अ.सा.-5), जिन्होंने मृतक का शवपरीक्षण किया था, के कथन के अवलोकन से और नीचे वर्णित चोटों से मृतक छविलाल की मानववध की मृत्यु स्थापित होती है:

(i) गर्दन के बाईं ओर के सामने-पार्श्व भाग पर 11.0 सेमी x 3.0 सेमी x टीडी आकार की धारदार कटी हुई चोट, जो क्षैतिज रूप से स्थित है, बाएं हंसली से 7.0 सेमी ऊपर है।

(ii) तीक्ष्ण धारदार चोट, आकार 12.0 x 3.0 सेमी x टीडी, बाएं कंधे पर, बाएं हंसली से 4.0 सेमी ऊपर, क्षैतिज रूप से स्थित।

(iii) तीक्ष्ण धारदार चोट, आकार 18.0 x 5.0 सेमी x टीडी, जो गर्दन के मूल के पश्च-पार्श्व हिस्से पर कशेरुक स्तंभतक पहुँच रही है।

(iv) तीक्ष्ण धारदार चोट, आकार 1.0 x 0.5 सेमी x टीडी, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली के पृष्ठ भाग पर, समीपस्थ अंगुलास्थि के पास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. यह स्वीकार्य है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। अभियोजन का प्रकरण परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को निम्नलिखित परिस्थितियों के आधार पर दोषसिद्ध किया है:

(i) घटना से छह महीने पूर्व, अपीलार्थी मृतक छबीलाल के साथ झगड़ा करने के बाद अपना घर छोड़कर चला गया था और एक बस सेवा में खलासी के रूप में काम कर रहा था।

(ii) घटना के समय अभियुक्त को घटना स्थल के आसपास देखा गया था।

(iii) अपराध में प्रयुक्त हथियार अपीलार्थी द्वारा मंदिर से प्राप्त किया गया था, जिसे बाद में कुएं से जब्त किया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों के आधार पर अपीलार्थी को दोषी ठहराया गया था।

8. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कोई भी परिस्थिति जिसका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया था, में से कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत करके स्थापित नहीं की गई है। इस प्रकार स्थापित परिस्थितियाँ अचूक रूप से अपीलार्थी के अपराध की ओर संकेत नहीं करती हैं और परिस्थितियों की श्रृंखलापूर्ण नहीं है। स्थापित परिस्थितियों के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल अपीलार्थी ने ही मृतक की मृत्यु कारित की है।

9. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है।

11. जहाँ तक पहली परिस्थिति का संबंध है, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की माता द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथन पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष निकाला है कि चूंकि छह महीने पहले मृतक और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और अपीलार्थी कहीं और रहने लगा था, अतः मृतक की मृत्यु कारित करने के लिए अपीलार्थी का हेतुक स्थापित हो जाता है। हालांकि, रिपोर्ट दर्ज कराने वाली साक्षी ((अ.सा.-4) नंद बाई के न्यायालयीन कथन के अवलोकन से हम पाते हैं कि उन्होंने अपने न्यायालयीन कथन में इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है और उस सीमा तक उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है। अपने कथन में अ.सा.-4 नंद बाई ने कहा है कि अपीलार्थी और मृतक उनके पुत्र हैं। उनका पुत्र छबीलाल मृत है क्योंकि किसी ने छत पर उसकी हत्या कर दी थी। अपने पुत्र छबीलाल की चीखें सुनने के बाद, वह अपनी देवरानी श्याम बाई के साथ वहां गईं और छबीलाल को लेटा हुआ पाया, उसके शरीर से खून बह रहा था। उसने यह भी कथन किया था कि छबीलाल केवल इतना ही कह सका कि 'ओ माँ यह क्या हो गया' और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने वहां किसी को नहीं देखा। तत्पश्चात कई ग्रामीण वहां एकत्रित हो गए और उनकी सलाह पर उन्होंने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने अपर लोक अभियोजक द्वारा दिए गए इस सुझाव से इनकार किया कि उन्होंने प्रदर्श पी/11 के 'अ से अ' भाग वाला कथन नहीं दिया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. मृतक के भाई रविशंकर (अ.सा.-7) ने भी अपीलार्थी के विरुद्ध कुछ भी कथन नहीं

किया है। हालांकि, विचारण न्यायालय का निष्कर्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट की शर्तों पर आधारित है, जो कि साक्ष्य का ठोस हिस्सा नहीं है और इसलिए, हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता कारित की है। अपीलार्थी का अपने ही भाई की हत्या करने का कोई हेतुक नहीं है।

13. जहाँ तक दूसरी परिस्थिति का संबंध है, अ.सा.-8 रवि कुमार ने कथन किया है कि अपीलार्थी संतोष एक बस में क्लीनर के रूप में कार्य करता है और सामान्यतः वह हरी टी-शर्ट और कत्थई रंग की पैंट पहनता था। उसने आगे यह भी कथन किया कि घटना के बाद वह बरगढ़ में अपीलार्थी से मिला था। पूछताछ करने पर कि वह अपनी ड्यूटी पर क्यों नहीं जाता, अपीलार्थी ने सूचित किया कि उसे सेवा से हटा दिया गया है। उसने कहा कि तत्पश्चात अपीलार्थी ने उससे 25/- रुपये उधार लिए थे। अगले दिन, ड्राइवर रामेश्वर ने उसे सूचित किया कि संतोष अपने भाई की हत्या करके भाग गया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस साक्षी के कथन से हम अधीनस्थ न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत होने में असमर्थ हैं कि अपीलार्थी को घटना स्थल के आसपास देखा गया था, क्योंकि इस साक्षी ने कहीं भी यह कथन नहीं किया है कि अपीलार्थी को आसपास देखा गया था और अधीनस्थ न्यायालय का उपरोक्त निष्कर्ष बिना किसी साक्ष्य के है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि चित्रा उर्फ रामकिशन(अ.सा.-18) के कथन के आधार पर की है। उसने कथन किया है कि अभियुक्त प्रतिदिन उसके पास आता था और नारियल खरीदता था। उसने आगे कथन किया है कि कुछ दिनों बाद अपीलार्थी पुनः आया और बलि देने के उपयोग हेतु 'फरसा' माँगा और उसे प्राप्त किया। अगले दिन पुलिस द्वारा पूछे जाने पर उसने सूचित किया कि उसने अभियुक्त को फरसा दिया था और तत्पश्चात उसी फरसे को शिनाख्त के लिए रखा गया था तथा प्रदर्श पी/19 के पहचान ज्ञापन के अनुसार उसने फरसे की पहचान की और दस्तावेज़ प्रदर्श पी/19 पर अपने हस्ताक्षर किए। इसके बाद उसकी उपस्थिति में अभियुक्त की शिनाख्त की कार्रवाई की गई। उसने 4-5 अन्य व्यक्तियों के बीच अभियुक्त को पहचाना और पहचान ज्ञापन (प्रदर्श पी/20) पर अपने हस्ताक्षर किए। अधीनस्थ न्यायालय ने यह निष्कर्ष

निकाला है कि कुएं से जब्त किया गया फरसा वास्तव में अपीलार्थी ने अ.सा.-18 चित्रा उर्फ रामकिशन से अपने ही भाई की हत्या करने के उद्देश्य से प्राप्त किया था।

15. अभिलेख के परिशीलन से, हम पाते हैं कि प्रश्नगत फरसा न तो अभियुक्त से जब्त किया गया है और न ही सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार उस पर मानव रक्त पाया गया था। अतः हमारी सुविचारित राय है कि अधीनस्थ न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने में सही नहीं था कि उपरोक्त परिस्थिति भी स्थापित हुई थी।

16. पूर्वोक्त विवेचना के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि अभियोजन पक्ष पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी को आरोपित अपराध से जोड़ने में पूर्णतः विफल रहा है और अधीनस्थ न्यायालय अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्ध करने तथा उसे आजीवन कारावास से दानादिष्ट करने में न्यायोचित नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. परिणामतः, अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने और पूर्वोक्त रूप से दंडित करने वाले विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया जाता है। यदि अपीलार्थी किसी अन्य प्रकरण में वांछित नहीं है, तो उसे तत्काल मुक्त किया जाए।

सही/-
फकरुद्दीन
न्यायाधीश

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**